संख्या–1334/पॉच–5–2020

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 26 जून, 2020

विषयः–कोविड–19 महामारी से बचाव एवं राहत हेतु कार्यो के लिए कोविड वालंटियर्स (कोविड स्वयं सेवकों) के पंजीकरण एवं उनकी सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रश्नगत विषयक शासनादेश संख्या–1151/पॉच–5–2020, दिनांक 28.05.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर–2.ख. में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0), नेहरू युवा केन्द संगठन (एन0वाई0के0एस0) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) युवक/महिला मंगल दल, रेडक्रॉस या अन्य संस्थाओं के सदस्य जो स्नातक/परास्नातक हो, जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष हो, कोविड वालंटियर्स कार्य कर सकते हैं, का प्राविधान किया गया है।

3– प्रश्नगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रावधान एतद्द्वारा निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

2. ख. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0), नेहरू युवा केन्द संगठन (एन0वाई0के0एस0) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) युवक/महिला मंगल दल, रेडक्रॉस या अन्य संस्थाओं के सदस्य जो स्नातक/परास्नातक हो, जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष हो, कोविड वालंटियर्स कार्य कर सकते हैं।

4– शासनादेश दिनांक 28.05.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
26/6/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–1334(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/राजस्व विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक–निदे0(प्रशा)/कैम्प/2020/1181, दिनांक 24.06.2020 के सन्दर्भ में।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल) 26/6/2020
उप सचिव

26.6.20
26.6.2020

sunil sir go com-3

संख्या– 1151 पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 28 मई 2020

विषयः कोविड–19 महामारी से बचाव एवं राहत हेतु कार्यों के लिए कोविड वालंटियर्स (कोविड स्वयं सेवकों) के पंजीकरण एवं उनकी सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पूर्व में शासन के विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं संकटकालीन परिस्थितियों में विभिन्न सेवा कार्यों में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), युवक/महिला मंगल दल एवं रेडक्रॉस के स्वयं सेवकों/सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण का प्रसार अब धीरे–धीरे गांवों में भी हो रहा है। अतः गांवों में कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु इन स्वंय सेवकों की सेवाएं अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। उक्त के दृष्टिगत गावों में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु इन स्वयं सेवकों की सेवायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वयं सेवकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :–

क. कोविड वालंटियर्स के पंजीकरण एवं उनके कार्यों के अनुश्रवण इत्यादि कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति होगीः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी,	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)	सदस्य
4.	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य/नोडल अधिकारी
5.	जिलाधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के जनपद स्तरीय संयोजकों को अपने विवेकानुसार समिति में सदस्य के रूप में नामित कर सकते है।	

ख. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) युवक/महिला मंगल दल, रेडक्रॉस या अन्य संस्थाओं के सदस्य

जो स्नातक/परास्नातक हो, जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष हो, तथा जो चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हों, कोविड वालंटियर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ग. प्रारम्भ में इनके स्वैच्छिक कार्य की अवधि 03 महीने होगी जिसे बाद में प्रदेश में कोविड–19 परिदृश्य के दृष्टिगत विस्तारित किया जा सकता है। इस सेवा कार्य के लिए इन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं होगा। सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् इन स्वयं सेवकों को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

घ. इन स्वयं सेवकों का पंजीकरण {"http://dgmhup.gov.in/en/volunteerRegistration"}) लिंक में किया जायेगा।

ड. इन कोविड वालंटियर्स के पास स्वयं का एंड्रॉयड/स्मार्ट फोन होना चाहिए तथा इनका सम्प्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए

च. इन स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी तथा गतिविधियों की रिर्पोटिंग हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टूल/अप्लीकेशन उपलब्ध कराया जायेगा।

3. कोविड स्वयं सेवक व्यक्ति/परिवार/समुदाय तथा स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य एक कड़ी होगें तथा निम्नलिखित कार्यो को नियमित रूप से सम्पादित करेगें:–

1. ये सभी कोविड वालंटियर्स कोविड–19 की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार में मदद करेगें।
2. होम क्वारन्टाईन में जिन घरों में फ्लायर नहीं लगे हैं, इस सम्बन्ध में आशा कार्यकत्री के माध्यम से फ्लायर लगाना सुनिश्चित करायेंगे।
3. गावों में कोविड के लक्षण प्रकट होने पर कोविड वालंटियर्स कोविड संबंधी सूचना एकत्र कर अपनी दैनिक रिपोर्ट महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बेबसाइट पर दिये गये लिंक (dgmhup.gov.in/en/VolunteerReporting) पर अपलोड करेंगे।

4. आपसे अपेक्षा है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नोडल अधिकारियों के माध्यम से स्वयं सेवकों/वालंटियर्स को पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने का कष्ट करें, जिससे आने वाले समय में इनकी सेवायें कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए गावों के स्तर पर ली जा सके।

5. इन सभी कोविड वालंटियर्स को उपयोग हेतु 02 मास्क (रीयूजेबिल), 01 बोतल सेनिटाईजर तथा 01 टी–शर्ट जिस पर कोविड वालंटियर्स प्रदर्शित हो रहा हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

28.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या–1151(1)पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव गृह/राजस्व विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निदेशक, (प्रशासन) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव